

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

सारांश— प्रस्तुत अध्ययन में जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल विद्यार्थियों का तथा सेवित क्षेत्र में रहने वाले 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। विद्यालयों में प्रवेश का अर्थ बालक—बालिका का निर्धारित आयु में निर्धारित कक्षा में नामांकित होकर निरन्तर कक्षा उत्तीर्ण करने से होता है, जिससे बच्चे निर्धारित समय में प्राथमिक शिक्षा चक्र को पार कर सकें। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक—बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निरन्तर बुनियादी तथा प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुँच तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की पहल की जा रही है, जिससे बच्चों के भविष्य का ठोस आधार विकसित हो सकें। परन्तु कई कारणों से जैसे माता—पिता की निरक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा समुचित व्यवस्थाओं का अभाव होने से आज भी बुनियादी शिक्षा में कक्षा प्रवेश सम्बन्धी समस्यायें व्याप्त हैं जिनके समाधान किये बिना गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित करना संभव नहीं है।

शब्द कुंजी: प्रवेश दर, सेवित क्षेत्र, तुलनात्मक अध्ययन, विद्यालय पलायन, प्राथमिक शिक्षा चक्र, बुनियादी शिक्षा।

प्रस्तावना

21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे वातावरण में उन्नति कर सकती है जो रचनात्मकता एवं काल्पनिकता, विवेचनात्मक सोच और समस्या के समाधान से सम्बन्धित कौशल पर आधारित हो। अनुभवमूलक विश्लेषण शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मध्य सुदृढ़ सकारात्मक सम्बन्ध होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 से 18 वर्ष के मध्य स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 30.5 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक है। यदि इन सभी बच्चों को वास्तविक शिक्षा तथा वास्तविक दुनिया का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसंख्या की सम्पूर्ण सामर्थ्य का अपने लिए उपयोग करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन एक भीषण समस्या है। इस समस्या के प्रति 1929 में हर्टांग समिति ने ध्यान आकृष्ट किया था। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें व्यापक नवीन दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा को 6–14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्देश्य को शत् प्रतिशत हॉसिल किया जाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। कुछ विशेष कार्यक्षेत्रों की बात करें तो अध्यापकों, कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों, बच्चों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालयी अवसरंचना, विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से सम्बन्धित विषयों पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जब तक शिक्षा प्रक्रिया में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान का सार्थक प्रयास नहीं किया जाता तब तक शिक्षा में गुणवत्ता एवं शिक्षा के सफल संचालन का प्रयास कल्पना मात्र है। कमीशन के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों में 56 प्रतिशत व बालिकाओं की शिक्षा में 62 प्रतिशत अपव्यय था। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात बालक एवं बालिकाओं में क्रमशः 24 प्रतिशत व 34 प्रतिशत था। इसी प्रकार उक्त कमीशन में यह स्पष्ट किया गया था कि बालकों की कक्षा 1 में अवरोधन 40.3 प्रतिशत तथा कक्षा 4 में 21.7 प्रतिशत तथा कक्षा 8 में 13.2 प्रतिशत था, इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा में कक्षा 1, 4 व 8 में अवरोधन क्रमशः 47.1 प्रतिशत, 25.6 प्रतिशत तथा 16.6 प्रतिशत था जो कि बालकों की शिक्षा की अपेक्षा अधिक था (कोठारी कमीशन 1964–1966)। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलों की एजेन्सी युनेस्को के सांख्यिकीय कार्यालय और ग्लोबल ऐजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत में करीब 5 करोड़ बच्चे अपर सेकेण्डरी स्कूल तक नहीं पहुँचे पाते हैं, अर्थात् ये बच्चे छठी, सातवीं तथा आठवीं की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। वैश्विक स्तर पर स्कूल से वंचित रहने वाले किशोरों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। 2015 में देश का सकल नामांकन अनुपात (GER) केवल 23.5 प्रतिशत था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह चिन्ता का विषय है। जब तक सभी के लिए शिक्षा तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा इन सभी के विकास का मूल आधार होती है। अर्तराष्ट्रीय स्कूलों की ऐकिंग में लगातार शीर्ष में रहने वाले फिनलैंड के स्कूलों की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आदर्श माना जाता है, इसका मुख्य कारण बच्चों को ज्यादा लम्बे समय तक बच्चे बने रहने देना है। यहाँ बच्चे करीब सात वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं जबकि भारत में 3 वर्ष में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने तथा निर्धारित उम्र में स्कूल में नामांकित न हो पाने के पीछे कई कारण उत्तरदाई हैं जैसे— एकल शिक्षक के सहारे स्कूल, शिक्षकों की कमी, संविदा पर शिक्षकों की व्यवस्था होना, शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना, शिक्षकों का अप्रशिक्षित होना आदि कई कारण उत्तरदाई होते हैं। इन कारणों का नतीजा यह है कि 6–14 आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकित होना चाहिए लेकिन तमाम प्रयासों तथा

योजनाओं के बाद भी 6–14 वर्ष के करीब साढ़े तीन करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। समाज, राज्य तथा राष्ट्र अपना अधिकतम तथा समुचित विकास करने में तभी सक्षम हो सकता है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि कर पायेगा। इस क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर—“बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009” के द्वारा राज्यों तथा स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया गया कि 6–14 वर्ष आयु का प्रत्येक बच्चा कम से कम प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ले। परन्तु कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत हॉसिल नहीं किया जा सका है।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दीर्घकालीन रणनीति में छात्र-शिक्षक अनुपात को बेहतर व संतुलित बनाने की दिशा में सरकारी प्रयासों को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के अभाव में तमाम रणनीति और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। कुछ महिनों पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक उद्बोधन मन की बात में शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा था—“अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किन्तु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।” आजादी के 70वें वर्ष में भी हमारे देश में स्कूली शिक्षा को पटरी पर नहीं लाया जा सका है जो कि एक बेहद सोचनीय स्थिति है। इसके लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। 1986 की शिक्षा नीति हमारे देश में शिक्षा की मार्गदर्शक है। इस नीति की समीक्षा करके 1992 में इसे अपना लिया गया और आज भी यही लागू है। भारत के आर्थिक-सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन 25 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान समय में इसी बदलाव तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। भारत में औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी महत्व कम नहीं रहा है क्योंकि इसके माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ष के शालात्यागी तथा कठिपय कारणों से निरक्षर रह गये बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है (गुप्ता, 1983, तोमर, 1991, मिश्र, 1998)। शिक्षा में पलायन की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया कि हाईस्कूल स्तर पर पलायनवादी व्यवहार के लिए विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। हमारी अनाकर्षक शिक्षा व्यवस्था भी हाईस्कूल स्तर पर पलायन के लिए जिम्मेदार थी (नयाल 1985)।

प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में संविधान की 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश है—“राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।” तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य व गुणवत्ताप्रक शिक्षा प्रदान कर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यह बात अलग है कि उस लक्ष्य को हम 10 वर्षों के अन्दर तो क्या आज तक भी प्राप्त नहीं कर सकें हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बाधाएं रही हैं जिसमें मुख्य है— सामाजिक पिछड़ापन, धनाभाव, माता-पिता की निरक्षरता, जागरूकता का अभाव, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या और ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की कमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह उल्लेख किया गया है कि देश में संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का सघन मूल्यांकन आवश्यक है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986)

विद्यालय में कोहोर्ट (Cohort) का निर्माण, विश्लेषण एवं उसके प्रदर्शन से उस विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की परख आसानी से की जा सकती है। परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धि स्तर को सुधारना भी है। शैक्षिक गुणवत्ता को किस प्रकार पाया जाय इस हेतु कोहोर्ट (Cohort) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टूल (उपकरण) है। (उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, डी०पी०ई०पी० III 2006)

पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इनमें से मुख्य रूप से वर्धा शिक्षा योजना (1937), कोठारी कमीशन (1964–1966), गुप्ता (1983), नयाल (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), तोमर (1991), मिश्र (1998) रैकवार (2000) एवं डी०पी०ई०पी० III (2006), ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किया गया है:-

जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोध कार्य की मुख्य परिकल्पना निम्न है:-

विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन है जिसके लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त विकासखंड कनालीछीना का चयन किया गया है। कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों तथा सेवित क्षेत्र में रहने वाले 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

उपकरण तथा तकनीकें

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श समूहों के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर t मान की सहायता से मध्यमान अन्तर की सार्थकता का आंकलन किया गया है। इसके अलावा 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थकता स्तर का अध्ययन किया गया है।

' t ' परीक्षण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया—

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SED}$$

M_1 = पहले न्यादर्श समूह का मध्यमान

M_2 = दूसरे न्यादर्श समूह का मध्यमान

SED = मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि

$$SED = \sqrt{PQ \left[\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} \right]}$$

$$P = \frac{N_1 P_1 + N_2 P_2}{N_1 + P_1}$$

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या – जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक बालिकाओं में कक्षा प्रवेश का लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर ज्ञात करने हेतु प्रवेश दर की तुलना एवं सार्थकता की जॉच t टेस्ट के द्वारा की गयी है।

तालिका संख्या-1 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बच्चों, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बच्चों, कक्षावार प्रवेश से वंचित बच्चों तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि पिथौरागढ़ जनपद के विकासखण्ड कनालीछीना में कक्षा 1 का प्रवेश दर 98.26 प्रतिशत था। इसी वर्ष कनालीछीना के सेवित क्षेत्र में 6 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 1266 थी तथा कक्षा 1 में नये प्रवेश पाये विद्यार्थियों की संख्या 1244 थी। अतः स्पष्ट है कि इस वर्ष 6 वर्ष आयु के 22 बच्चे अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.57 प्रतिशत था। इसी वर्ष कनालीछीना के सेवित क्षेत्र में 7 वर्ष आयु के कुल बच्चों की जनसंख्या 1171 थी तथा कक्षा 2 में नये प्रवेश पाये विद्यार्थियों की संख्या 1166 थी। इस वर्ष 7 वय वर्ग के 5 बच्चे नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.72 प्रतिशत था। इसी वर्ष में कनालीछीना के सेवित क्षेत्र में 8 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 1083 थी तथा कक्षा 3 में नये प्रवेश पाये कुल विद्यार्थियों की संख्या 1080 थी अतः इस वर्ष 8 वय वर्ग के 3 विद्यार्थी अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99.89 प्रतिशत था। इसी वर्ष में कनालीछीना के सेवित क्षेत्र में 9 वय वर्ग के कुल बच्चों की जनसंख्या 991 थी तथा कक्षा 4 में नये प्रवेश पाये कुल विद्यार्थियों की संख्या 990 थी अतः इस वर्ष 8 वय वर्ग का 1 बच्चा अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से वंचित रह गया। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100 प्रतिशत था। इसी वर्ष में कनालीछीना के सेवित क्षेत्र में 10 वय वर्ग के कुल बच्चों की जनसंख्या 912 थी तथा कक्षा 5 में नये प्रवेश पाये कुल विद्यार्थियों की संख्या 912 थी अतः स्पष्ट है कि इस वर्ष 10 वय वर्ग के सभी विद्यार्थी अपनी नियत कक्षा में प्रवेश पाने में सफल रहे।

तालिका संख्या-01

कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बच्चों का विवरण

कक्षा	कुल बच्चे	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे	प्रवेश से वंचित बच्चे	प्रवेश दर %
1	1266	1244	22	98.26
2	1171	1166	05	99.57
3	1083	1080	03	99.72
4	991	990	01	99.89
5	912	912	00	100.0

तालिका संख्या-02 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालकों, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बालकों, कक्षावार प्रवेश से वंचित बालकों तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 98.35 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 609 बालकों में से 599 बालक कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 10 बालक अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.64 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 564 बालकों में से 02 बालक अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.80 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 512 बालकों में 01 बालक अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से वंचित रह गया। कक्षा 4 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 477 बालकों में से सभी बालक अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने में सफल रहे। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 439 बालकों में से सभी 439 बालक कक्षा 5 में नामांकित थे।

तालिका संख्या-02

कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालकों का विवरण

कक्षा	कुल बालक	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालक	प्रवेश से वंचित बालक	प्रवेश दर %
1	609	599	10	98.35
2	564	562	02	99.64
3	512	511	01	99.80
4	477	477	00	100.0
5	439	439	00	100.0

तालिका संख्या-03 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालिकाएं, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बालिकाएं, कक्षावार प्रवेश से वंचित बालिकाओं तथा कुल प्रवेश दर का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालिकाओं का प्रवेश दर 98.17 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 657 बालिकाओं में से 645 बालिकाएं कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 12 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.50 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 607 बालिकाओं में से 03 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.65 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 571 बालिकाओं में से 02 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से वंचित रह गये। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99.80 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 514 बालिकाओं में से 01 बालिका अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से वंचित रह गयी। कक्षा 5 का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 473 बालिकाओं में से सभी 473 बालिकाएं अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने में सफल रहे।

तालिका संख्या-03

कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालिकाओं का विवरण

कक्षा	कुल बालिकाएं	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालिकाएं	प्रवेश से वंचित बालिकाएं	प्रवेश दर %
1	657	645	12	98.17
2	607	604	03	99.50
3	571	569	02	99.65

4	514	513	01	99.80
5	473	473	00	100.0

तालिका संख्या—04 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में कक्षा 1 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0.24 है। कनालीछीना में रहने वाले 6 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 1.74 प्रतिशत बालक तथा बालिकाएं प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या—04

प्रवेश दर— कक्षा 01

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	609	98.35	98.26	1.74	0.73	0.24	सार्थक नहीं
बालिका	657	98.17					

तालिका संख्या—05 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में कक्षा 2 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0.37 है। कनालीछीना में रहने वाले 7 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.43 प्रतिशत बालक तथा बालिकाएं प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या—05

प्रवेश दर— कक्षा 02

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	564	99.64	99.57	0.43	0.37	0.37	सार्थक नहीं
बालिका	607	99.50					

तालिका संख्या—06 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में कक्षा 3 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0.48 है। कनालीछीना में रहने वाले 8 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 1.74 प्रतिशत बालक तथा बालिकाएं प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या—06

प्रवेश दर— कक्षा 03

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	512	99.80	99.71	0.29	0.33	0.48	सार्थक नहीं
बालिका	571	99.64					

तालिका संख्या—07 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में कक्षा 4 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 1.0 है। कनालीछीना में रहने वाले 9 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.11 प्रतिशत बालक तथा बालिकाएं प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय

दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना में रहने वाले बालक-बालिकाएं लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका संख्या-07 प्रवेश दर- कक्षा 04

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	477	100.0	99.89	0.11	0.2	1.0	सार्थक नहीं
बालिका	514	99.80					

तालिका संख्या-08 में प्रदर्शित प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 5 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहाँ पर t मान 0 है। कनालीछीना में रहने वाले 10 वर्ष के बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर 100 प्रतिशत थी। अतः बालक तथा बालिकाएं इस समस्या से प्रभावित नहीं थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कनालीछीना में रहने वाले बालक-बालिकाओं के सम्मुख प्रवेश सम्बन्धी कोई समस्या नहीं थी।

तालिका संख्या-08 प्रवेश दर- कक्षा 05

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	439	100.0	100.0	0.0	0	0	सार्थक नहीं
बालिका	473	100.0					

निष्कर्ष

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड कनालीछीना के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।

- (i) कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 98.35 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 98.17 प्रतिशत था।
- (ii) कक्षा 2 में बालकों का प्रवेश दर 99.64 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 99.50 प्रतिशत था।
- (iii) कक्षा 3 में बालकों का प्रवेश दर 99.80 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 99.64 प्रतिशत था।
- (iv) कक्षा 4 में बालकों का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 99.80 प्रतिशत था।
- (v) कक्षा 5 में बालकों का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रवेश दर 100.0 प्रतिशत था।

अतः विकासखण्ड कनालीछीना में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अतः परिकल्पनाएं सही सिद्ध होती हैं।

अध्ययन के निहितार्थ एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रवेश दर के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित सुझाव समीचीन प्रतीत होते हैं। ये निष्कर्ष एवं सुझाव शिक्षा के योजनाकारों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

1. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश में आने वाली समस्याओं के कारणों को विनिहित कर उनके समाधान के लिए लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण सृजित किया जा सकता है जिससे बच्चे उच्च शैक्षिक उपलिभ्य स्तर को प्राप्त कर सकते हैं।
2. बुनियादी शिक्षा में एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।

3 प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए शिक्षण नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण को व्यावहारिक, आसान व रुचिकर बनाने का प्रयास अपेक्षित है।

4 जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं अथवा निम्न शैक्षिक उपलब्ध के कारण अवसादग्रस्त हैं उनके मार्गदर्शन हेतु परामर्शदाता की व्यवस्था विद्यालयों में की जानी चाहिए।

5 प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इस हेतु माता-पिता तथा अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए निरन्तर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

6. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में बच्चों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराकर तथा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि किया जा सके।

7. प्राथमिक शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में समस्त शैक्षिक सुविधायें विकसित कर नामांकन और ठहराव में वृद्धि किया जा सकता है।

8. प्राथमिक विद्यालयों में बार-बार अनुत्तीर्ण होने, धनाभाव तथा अन्य कारणों से विद्यालय पलायन के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।

9. सीमान्त एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु पर्याप्त शिक्षकों एवं शैक्षिक संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे प्राथमिक शिक्षा को 6–14 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुँचाया जा सके।

स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में निर्धारित आयु में निर्धारित कक्षा में प्रवेश न होने से अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्यायें व्याप्त होती हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश में आने वाली समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा क्योंकि राष्ट्र का भविष्य इन्हीं बालक व बालिकाओं के कधों पर है। जब तक सभी बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया जाता तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ ही होगा। प्राथमिक शिक्षा सभी प्रकार के विकास का मूल आधार होती है। अतः बच्चों के संतुलित विकास के लिए इस आधार का मजबूत होना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

गैरेट, एच. ई (1981) मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी। दशम संस्करण। बी एफ एण्ड सन्स बॉम्बे।

गुप्ता, दलजीत (1983) “ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ नॉनफारमल एजुकेशन प्रोग्राम” (ऐज ग्रुप 9–14) रन बाई डिफ्रेन्ट एजेन्सीज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय।

नयाल, जी. एस (1985) विद्यालय से पलायन के कारण भारतीय आधुनिक शिक्षा। वर्ष द्वितीय अंक चतुर्थ। एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।

तोमर, लज्जाराम (1991) भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, सुरुचि प्रकाशन केशवकुंज झण्डेवाला, नई दिल्ली, संस्करण।

मिश्र, जयनारायण (1998) अनुदेशकों की दृष्टि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की समस्यायें, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाय, 15–23।

रैकवार, रामगोपाल (2000) प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल, 12–16।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2002) सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान। नई दिल्ली : प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

उत्तरांचल दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (2006) विद्यार्थी प्रवाह आरेखण एवं विश्लेषण। उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद डी.पी.ई.पी.-3 देहरादून

पाठक, पी. डी एवं त्यागी, जी. एस. डी. (2008) भारतीय शिक्षा के आयोग कोठारी कमीशन सहित। आगरा पब्लिकेशन आगरा।

डॉ. डिगर सिंह फर्स्वाण
विभागाध्यक्ष (बी.एड)
देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लालपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर
उत्तराखण्ड—263148

Dr. Digar Singh Farswan
Head of Department (B.Ed)
Devbhumi Institute of Professional Education
Lalpur Rudrapur Udhampur uttarakhand
Pin – 263148

